उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या–क0नि0 5–3614/11–2008–500 (5)–91 टी0सी0–1
लखनऊ, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 76–क के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल सन् 1899 के उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियॉ (अध्याय पांच के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण के सिवाय) नीचे अनुसूची के स्तम्भ–1 में उल्लिखित अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों को स्टाम्प शुल्क के ऐसे विवादों, जो स्तम्भ–2 में उनके समक्ष दर्शायी गयी धनराशि के अन्तर्गत हों, के सम्बन्ध में अपनी–अपनी अधिकारिता के अधीन प्रत्यायोजित करते है। प्रतिबंध यह है कि स्तम्भ–1 में उल्लिखित राजस्व प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तम्भ–2 में यथाउल्लिखित अपनी–अपनी धन सम्बन्धी अधिकारिता के नीचे के स्टाम्प शुल्क के विवादों के मामले की सुनवाई को ग्रहण नहीं करेंगे।

अनुसूची

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी	विवाद में अन्तर्ग्रस्त स्टाम्प शुल्क
	रूपये दस लाख से अधिक
न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद	
मण्डलायुक्त	रूपये दो लाख पचास हजार से अधिक किन्तु रूपये दस लाख से अनधिक
अपर मण्डलायुक्त/उपायुक्त स्टाम्प, सम्बन्धित मण्डल/वृत्त	रूपये दो लाख पचास हजार तक

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–3614 / 11–2008 लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– विधायी, अनुभाग–1
8– समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
9– समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–3614 / 11–2008 लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपिः अंगेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनॉकः 10 दिसम्बर, 2008 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं एक सौ प्रतियां शासन के वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N. -5-3614/XI-2008-500 (5)-91-T.C.-1, dated December 8, 2008 for general information:

No. K.N. -5-3614/XI-2008-500 (5)-91-T.C.-1,
Lucknow, Dated December 08, 2008

In exercise of the powers under clause (b) of section 76-A of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of previous notifications issues in this behalf, the Governor is pleased to delegate the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority under sub-section (1) of section 56 (except the control over the powers exercisable by the Collector under Chapter V) of the said Act of 1899 to the subordinate revenue authorities mentioned in Column-1 of the Schedule below in respect of disputes of stamp duty involving the amount shown against them in Column-2 with respect to their jurisdiction. Provided that the Revenue Authorities mentioned in Column-1 shall not entertain cases of disputes of stamp duty below their respective pecuniary jurisdiction as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

COLUMN-1	COLUMN-2
Chief Controlling Revenue Authority	**Value of stamp duty involved in the dispute**
Member Judicial, Board of Revenue	Exceeding Rupee ten lakh
Divisional Commissioner	Exceeding Rupees 2.50 lakh but not exceeding rupees ten lakh
Additional Divisional Commissioner / Deputy Commissioner Stamp of Division/ Circle	Up to rupees 2.50 lakh

By order,
Sd/-Illegible
DESH DEEPAK VERMA,
Pramukh Sachiv.